बिहार सरकार

समाहरणालय, नवादा

नवादा – 805110

(जिला आपदा शाखा)

–: आदेश :–

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के पत्रांक 1984/प्राधि0, दिनांक 29.06.2018 के संदर्भ में बहु आपदा प्रवण होने के आलोक में पंचायत स्तर तक जन जागरूकता के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से नवादा जिला के चयनित मुखिया एवं सरपंचों के द्वारा सभी ग्रामीण जनों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर उन्मुखीकरण किया जाना है। इस संबंध में दिनांक 03.10.2018 से 07.10.2018 (5 दिनों) तक आपके प्रखंड के निम्नांकित पंचायतों में वर्णित तिथि को प्रशिक्षण का आयोजन निर्धारित की गई है, जो निम्न प्रकार है :–

क्र0	प्रखण्ड का नाम	पंचायतों के नाम				
		03.10.2018	04.10.2018	05.10.2018	06.10.2018	07.10.2018
01	नवादा	खरॉट/केना/भदोखरा/कादिरगंज	इनठो/भगवानपुर/जमुआंवा	पटवासराय/महुली/समाय/भदौनी	गोनावॉ/देदौर/आंती/पौरा	औरैना/सोनसिहारी/लोहरपुरा
02	काशीचक	पार्वती	रेवरा– जगदीशपुर	धण्डीनोवा	सुभानपुर/ विरनामा	बेलड़/ खखरी
03	नारदीगंज	हण्डिया/पेश	इचुआकरना/ओरो	नारदीगंज/ननौरा/कोशला	डोहदा/कहुआरा	मसोढा/परना
04	हिसुआ	दोना/हदसा	चितरघटी/तुंगी	कैथिर/धनवा	सोनसा/पचाढ़ा	बगोदर/छतिहर
05	पकरीबरावां	कोनन्दपुर/पोकसी/बुधौली	धेवधा/डुमरावा/एरूरी/जिओरी	पकरीबरावॉ दक्षिणी/पकरीबरावॉ उतरी/कबला	उकौड़ा/बेलकुण्डा/दतरौल	ढोढा/धमौल/गुलनी
06	रोह	नजरडीह/कोशिरूखी	ओहारी/रोह/भिखमपुर	कुंज/मरूई/मोरमा	डुमरी/सिकर/छनौन	भट्टा/मडरा/समरीगढ
07	वारिसलीगंज	वरनामा/पैंगरी/शाहपुर	सौर/मकनपुर/अपसढ	मंजौर/हाजीपुर/चकवाय	बागीबगडीहा/कुटरी/ठेरा/मोसमा	कोचगांव/महिउद्दीनपुर/दोसुत
08	रजौली	लेंगुरा/अमावा पश्चिमी/रजौली पूर्वी	अमावा पूर्वी/सेवइयाटाड/सिरोडावर	अंधरवारी/मुरहेना/रजौली पश्चिमी	बहादुरपुर/फरक्काबुर्जुग/हरदिया	जोगियामारण/टकुआटॉड/चितरकोली/धमनी
09	कौआकोल	दरावा/छबेल/महुडर	खड़सारी/पाली/लालपुर	सरौनी/केवाली/पहाड़पुर	पाण्डेय गगौंट/मेझीला/सेखोदेवरा	नावाडीह/देवनगढ/कौआकोल
10	मेसकौर	मिरजापुर/बिसीआई	बड़ौसे/तेतरिया	सहवाजपुरसराय/बिजुबिगहा	बारत/मेसकौर	रसरपुरा/अकरी पाण्डेयबिगहा
11	नरहट	पालीखुर्द/जमुआरा	शेखपुरा/नरहट	कोणिवर/सैदापुर गोवासा	खनवॉ/पुन्थौर	पुनौल/बफनौर
12	गोविंदपुर	बकसौती/भवनपुर	बुधवारा	बनियाबिगहा/विशुनपुर	सुभरी/गोविंदपुर	माधोपुर/सरकण्डा
13	सिरदला	साढ मझगावा/अब्दुल	चौकिया/हटांगी/चौबे/घिरौन्ध	घग्घर/बांधी/खनपुरा	सिरदला/अकौना/सजन	उपरडीह/लौंद/बड़गांव
14	अकबरपुर	बड़ैल/कुलना/सकरपुरा/पचरूखी	तेयार/परतोकरहरी/गोविंदबिगहा/पौती	पैजुना/लेदहा/फतहपुर/बलियाबुजुर्ग	माखर/मलिकपुर/पचगांवा/बकसण्डा	बरेव/बुधुआ/फरहा/मनैललोदिपुर

1. आपके प्रखंड में आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर प्रति बैच एक द्विवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें अधिकत्तम 100 (सौ) प्रतिभागी भाग ले सकेंगे।
2. प्रतिभागियों की संख्या निर्धारित करने के लिए प्रत्येक पंचायत से 28 प्रतिभागी आकलित किए गए है। 28 की संख्या निर्धारित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में औसतन 12 वार्ड को आधार बनाया गया है। 12 वार्ड सदस्य + 12 पंच + 1 मुखिया + 1 सरपंच + 2 पंचायत समिति सदस्य। यह संख्या प्रखंड अवस्थित पंचायतों में वार्ड की वास्तविक संख्या के आधार पर घट बढ सकता है। इसी आधार पर प्रखंड स्तर पर बैचों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
3. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी नवादा जिले के सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी होगें। प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने–अपने प्रखंड में इसे सुसंयोजित निर्धारित तिथि में प्रशिक्षण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

4. नवादा जिले के अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली अपने–अपने अनुमंडल के प्रखंडों में निर्धारित प्रशिक्षण (दिनांक 03.10.2018 से 07.10.2018 तक) कार्यक्रम में उपस्थिति/प्रशिक्षण व्यवस्था एवं उसके फलाफल से संबंधित एक प्रतिवेदन प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा शाखा, नवादा को सौपेगें, जिसकी समीक्षा जिला स्तर पर की जायेगी।
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने–अपने प्रखंड में निर्धारित प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले वार्ड सदस्य/पंच/मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य एवं उपस्थित होने वाले ग्रामीण जनों का नाम, पता एवं मोबाईल संख्या उक्त सफल प्रशिक्षण के बाद जिला आपदा शाखा, नवादा को उपलब्ध करायेगें, ताकि विभागीय निदेशानुसार जिले के वेबसाईट पर अपलोड की जा सके।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी उक्त निर्धारित प्रशिक्षण के क्रम में अपने–अपने प्रखंड में विगत पांच वर्षो में आए विभिन्न प्रकार की आपदाओं का डाटा बेस जिला आपदा शाखा, नवादा को उपलब्ध करायेगें ताकि ताकि विभागीय निदेशानुसार जिले के वेबसाईट पर अपलोड की जा सके।
7. प्रखंडों में आयोजित एक द्विवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनुमानित प्रतिभागियों की कुल संख्या के आधार पर प्रति प्रतिभागी विभाग द्वारा निर्धारित 225/– रूपये की दर से प्राधिकरण द्वारा राशि भेजी जा रही है, जिसमें भोजन/चाय के अतिरिक्त टेबुल कुर्सी/माइक/प्रशिक्षण स्थल/स्टेशनरी/बैनर इत्यादि मद में व्यय किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी प्रतिभागियों को आवागमण के लिए आवागमण भत्ता 100/– रूपये दिया जाय। प्रत्येक प्रखंड के 02 Masters_Trainers (प्रशिक्षित मुखिया एवं सरपंच) को प्रशिक्षण भत्ता 1000/– रूपये दिया जाय।
8. प्रत्येक प्रतिभागी को एक–एक प्रशिक्षण पुस्तिका दी जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत के लिए 02 सेट पोस्टर दिया जाएगा, जिसे संबंधित मुखिया अपने पंचायत क्षेत्र के सुगम स्थल पर चिपकाने/लगाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त पोस्टर भी दिए जाएगें जिसे प्रखंड कार्यालय एवं अन्य उचित स्थान पर चिपकाया जाए।
9. प्रखंड स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के एक द्विवसीय प्रशिक्षण के उपरांत प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने पंचायत क्षेत्रों में ग्राम सभा आयोजित करेगें तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों के संबंध में जनता को जागरूक करेगें।
10. कार्यक्रम के समाप्ति के तुरंत बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने–अपने प्रखंड में हुए व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजेगें ताकि ससमय विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जाय।

आदेश है कि उपरोक्त निम्नलिखित बिंदुओं के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई कर प्रशिक्षण को सफल बनाये।

<u>अनुलग्नक :– प्राधिकरण स्तर पर सूची</u>
<u>बजट प्राक्कलन संलग्न है।</u>

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
नवादा।

ज्ञापांक 347 /आ0, दिनांक 19/9/2018 /2018 ई0।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उपरोक्त बिंदुओं के आलोक निर्धारित प्रशिक्षण आयोजन को सफल बनायेगें।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त निर्धारित प्रशिक्षण में पर्यवेक्षक के रूप में अपने–अपने अनुमंडल के प्रखंडों में सफल बनायेगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त प्रशिक्षण से संबंधित डाटा बेस को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप समाहर्त्ता, नवादा को निदेश है कि प्राधिकरण से प्रशिक्षण से संबंधित सामग्रियों को लाने हेतु एक वाहन की व्यवस्था करेगें एवं जिले से सभी प्रखंडों तक प्राधिकरण से प्राप्त सामग्रियो को उपलब्ध करायेगें।

प्रतिलिपि :– वरीय सलाहकार, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9/18
जिला पदाधिकारी,
नवादा।